

Order No:- 138L/2021-22



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु.)
18,संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक- 09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश


माननीय सांसद **Shri Kotagiri Sridhar** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **21** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र **2021-22** में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	P. KAMALIKA SRI	SH. SRINIVASA RAO MOB- 9989129696	4	ELURU
2	SAMMANGI MONISHA SRI	SH. KRISHNA PARDEEP MOB- 8880608958	1	ELURU
3	EPIJARLA KAVYASRI	SH. MANIRAJU MOB- 9985533222	1	ELURU
4	KOTHAPALLI AKSHAYA KUMAR	SH. CHANDRA MOULI BHIMADOLE MOB- 7981766570	1	ELURU
5	POLAMARASETTI AKSHAY RAJ	SH. VENU GOPALARAO MOB- 9703504080	6	ELURU
6	P. DHANVISRI NAGA DURGA DEVI	LATE SH. SIVA MOB- 7671926564	6	ELURU
7	BANDELA GREESHMA	SH. SHOBAN BABU MOB- 9912282233	5	ELURU
8	BOOPANA SRI SUHRUTH	SH. NARENDRA BABAU MOB- 7901552979	6	ELURU
9	JANAPAREDDY M AASHIKA	SH. MANIKUMAR MOB- 9014679363	4	ELURU
10	PASUPULETI TEJA	SH. JAGADEESH MOB- 7731859089	2	ELURU

क.पू.उ.
[Handwritten signature]

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2021** है।



(पिया ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Kotagiri Sridhar माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **HYDERABAD** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)